# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 11/2018 तारीख रजू :–08.01.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

**बनाम**

1. सुनिल कुमार पुत्र कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांव फुटोलाव तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स कडीवाला की ढाणी तह0 बस्सी जिला जयपुर 303301
2. मुकेश शर्मा पुत्र रामवतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कडीवाला की ढाणी तह0 बस्सी जिला जयपुर 303301 (फर्म मालिक) मैसर्स कडीवाला की ढाणी तह0 बस्सी जिला जयपुर 303301

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 22/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 10.03.2017 को समय 03.00 पी.एम पर बस स्टेण्ड ग्राम पोस्ट बाटोदा जिला सवाई माधोपुर में वाहन संख्या आर जे 14 जी एच 2073 पर पहुँचा वहाँ पर सुनिल कुमार पुत्र कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांव फुटोलाव तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (मौके पर विक्रेता) ने स्वयं को मैसर्स कडीवाला नमकीन उद्योग ग्राम कडीवाला की ढाणी तह0 बस्सी जिला जयपुर का सेल्समेन होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया व विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में टेम्पो का निरीक्षण किया गया जहाँ विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम के मानक स्तर का नहीं होने की आशंका होने पर विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र तथा क्रय बिल मांगा, विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र एव क्रय बिल मौके पर नहीं होना बताया विक्रेता सुनिल कुमार ने स्वयं के पहचान बाबत् निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छायाप्रति एवं वाहन बाबत् वाहन के फिटनेस की छायाप्रति पेश की, तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचनाफार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक के 4 पाउच वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर 200/- रूपयें नकदी अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खरीदे गए खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक को 04 बराबर प्लास्टिक के जारों में भर कर अच्छे से बन्द किया गया तथा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया तथा प्रत्येक नमूना भाग को मोंटे खाकी कागज में लपेटर अभिहित अधिकारी सवईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1137 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया । प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दानों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहें के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुच कर फार्म न0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय, कार्यालय मु0 चि0 एवं स्व0 अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर मं सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)सवाईमाधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/218 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 169/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/218 दिनांक 07.04.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक मिसब्राण्ड पाया गया है।यह है कि श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी(पंजीयन) झालाना डूँगरी के पत्रांक /483 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा वेट रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रतियां प्राप्त की गई। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त सं0 1 व 2 ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक का विक्रय एवं भण्डारण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा श्री घनश्याम जाट एड0 ने पेश किया। अभियुक्तगण को जबाव पेश करने हेतु उनचालिस अवसर प्रदान करने पर भी अभियुक्त ने असा[illegible] वकालतन जबाव प्रस्तुत नहीं किया अतः आदेशिका दिनांक 11/02/2022 के आधार [illegible] अभियुक्तगण को आइन्दा पेशी पर जबाव पेश नहीं करने पर अगली पेशी पर जबाव स्वतः ही बंद समझा जावेगा चेतावनी दी गई। चेतावनी के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने अभियुक्तगण की जबाब हेतु बंद किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) ) प्रकृति के खाद्य पदार्थ खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक का विक्रय व निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 169/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/218 दिनांक 07.04.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक मिसब्राण्ड पाया गया जिसका विक्रय व निर्माण कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधीनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) ) प्रकृति के खाद्य पदार्थ नमकीन (म्हारी अनोखी) 400 ग्राम पोली पेक का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 50,000/–रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक–एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested